National Research Journal of Social Sciences
Volume-11, Issue-1, January-June 2026
PP: 455-469
ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका असुरक्षा राज्य हस्तक्षेप और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में मनरेगा का समन्वित अध्ययन

डॉ.सन्त राम पाल
सहायक आचार्य
समाजशास्त्र विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव पी जी कॉलेज बभनान,गोण्डा (उत्तर प्रदेश)
अरुण कुमार यादव
(शोधार्थी)
समाजशास्त्र विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव पी जी कॉलेज बभनान,गोण्डा (उत्तर प्रदेश)

शोध-सार

ग्रामीण भारत में आजीविका असुरक्षा, मौसमी बेरोज़गारी तथा संरचनात्मक गरीबी लंबे समय से सामाजिक-आर्थिक विकास के समक्ष प्रमुख चुनौती रही है। विशेषतः भूमिहीन एवं सीमांत श्रमिक आय-अनिश्चितता और बाध्य पलायन की समस्या से जूझते रहे हैं। इस संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) राज्य हस्तक्षेप के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरता है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा, आय स्तर, पलायन प्रवृत्ति तथा सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का समन्वित विश्लेषण करना है। अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जनपद के रामनगर ब्लॉक को चयनित किया गया, जहाँ 100 श्रमिकों के नमूने पर प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक डेटा संकलित किया गया तथा द्वितीयक स्रोतों का भी उपयोग किया गया। विश्लेषण हेतु प्रतिशत, औसत एवं तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। निष्कर्षतः मनरेगा ने आय में वृद्धि, रोजगार दिवस उपलब्धता, महिला सहभागिता एवं सामाजिक जागरूकता में सकारात्मक प्रभाव डाला है तथा पलायन प्रवृत्ति में कमी आई है। नीतिगत रूप से रोजगार दिवस विस्तार, समयबद्ध भुगतान एवं सामाजिक लेखा-जोखा सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

कुंजी शब्दः *ग्रामीण आजीविका असुरक्षा, राज्य हस्तक्षेप, गरीबी उन्मूलन, मनरेगा, रोजगार गारंटी, सामाजिक सशक्तीकरण, पलायन*

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

1. प्रस्तावना

ग्रामीण भारत में आजीविका असुरक्षा ऐतिहासिक रूप से भूमिहीनता, वर्षाकृषि आधारित-, सीमित औद्योगिक अवसरों तथा असंगठित श्रम संरचना जैसी संरचनात्मक बाधाओं से उत्पन्न हुई है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में श्रमिक परिवार अनिश्चित आय, ऋणग्रस्तता और सामाजिक वंचना का सामना करते हैं। संरचनात्मक गरीबी केवल आय की कमी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा की न्यूनता के रूप में बहुआयामी अभाव उत्पन्न करती है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों में जीविका के वैकल्पिक साधनों की खोज हेतु मौसमी या स्थायी पलायन की प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसे संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के रूप में उभरता है, जो ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी देकर आय सुरक्षा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन तथा सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह अधिनियम आजीविका स्थिरता, गरीबी न्यूनीकरण और अनैच्छिक पलायन में कमी लाने की दिशा में एक संरचनात्मक नीति उपकरण के रूप में कार्य करता है।

1.1 अध्ययन का औचित्य और प्रासंगिकता

ग्रामीण भारत में आजीविका असुरक्षा, मौसमी बेरोज़गारी, संरचनात्मक गरीबी तथा बाध्य पलायन की समस्या लंबे समय से विद्यमान रही है, जिसके समाधान हेतु राज्य हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है उभरता में रूप के नीति सार्वजनिक महत्वपूर्ण एक (मनरेगा), जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम रोजगार सुरक्षा प्रदान करना है। प्रस्तुत अध्ययन का औचित्य इस तथ्य में निहित है कि आज भी अनेक ग्रामीण श्रमिक आयअनिश्चितता-, संसाधनों की कमी और सामाजिक बहिष्करण का सामना कर रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से आय सुरक्षा, परिसंपत्ति सृजन, महिला सशक्तीकरण और पलायन नियंत्रण जैसे आयामों का समग्र विश्लेषण आवश्यक है। यह अध्ययन राज्य हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए गरीबी उन्मूलन की दिशा में इसकी वास्तविक भूमिका को स्पष्ट करता है। अतः यह शोध सामाजिक तथा निर्माण नीति आर्थिक- है। प्रासंगिक अत्यंत लिए के रणनीतियों की विकास ग्रामीण

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

1.2 शोध प्रश्न

1. क्या मनरेगा ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका असुरक्षा को कम करने में प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
2. मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त रोजगार दिवस एवं आय में वृद्धि का ग्रामीण गरीबी स्तर और पलायन प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3. क्या मनरेगा ने महिलाओं एवं वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण में सार्थक योगदान दिया है?

2. सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक ढाँचा

इस अध्ययन का सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक ढाँचा ग्रामीण आजीविका असुरक्षा को केंद्र में रखकर विकसित किया गया है। आजीविका असुरक्षा से आशय आय की अनिश्चितता, संसाधनों की कमी, रोजगार के अवसरों का अभाव तथा सामाजिक संरक्षण की न्यूनता से है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि राज्य का दायित्व है कि वह कमजोर वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की योजनाएँ सामाजिक संतुलन एवं स्थिरता बनाए रखने का माध्यम हैं, जबकि संघर्ष दृष्टिकोण यह इंगित करता है कि ऐसी नीतियाँ संसाधनों के असमान वितरण को कम करने का प्रयास करती हैं। गरीबी को बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सामाजिक भागीदारी से जोड़ा गया है। प्रस्तुत अवधारणात्मक मॉडल के अनुसार आजीविका असुरक्षा राज्य हस्तक्षेप (जैसे मनरेगा) को प्रेरित करती है, जिससे आय सुरक्षा सुनिश्चित होती है, परिणामस्वरूप गरीबी न्यूनीकरण होता है तथा अंततः पलायन प्रवृत्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3. साहित्य की समीक्षा

3.1 ग्रामीण गरीबी एवं पलायन पर पूर्ववर्ती अध्ययन

अमर्त्य सेन (1999) ने अपनी कृति *Development as Freedom* में गरीबी को केवल आय की कमी नहीं, बल्कि अवसरों और क्षमताओं के अभाव के रूप में परिभाषित किया। सेन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के अवसरों की सीमित

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

उपलब्धता आजीविका असुरक्षा को जन्म देती है, जिससे बाध्य पलायन की प्रवृत्ति बढ़ती है। उनका तर्क है कि जब राज्य बुनियादी क्षमताओं के विकास में निवेश करता है, तब ही संरचनात्मक गरीबी को कम किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण पलायन को आर्थिक विवशता और विकास असमानताओं का परिणाम माना गया है।

जीन ड्रेज़ एवं अमर्त्य सेन (2013) ने *An Uncertain Glory: India and Its Contradictions* में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में असमान विकास, बेरोज़गारी और सामाजिक बहिष्करण को पलायन का प्रमुख कारण बताया। उनके अध्ययन के अनुसार रोजगार गारंटी जैसी योजनाएँ आय स्थिरता प्रदान कर सकती हैं, जिससे मौसमी और संकट-जनित पलायन में कमी आती है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सामाजिक सुरक्षा उपाय ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

3.2 रोजगार गारंटी कार्यक्रमों पर शोध

द्रेज़ और सेन (2013) ने भारत में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विश्लेषित किया है। उनके अनुसार मनरेगा जैसे कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के लिए आय स्थिरता प्रदान करते हैं तथा न्यूनतम मजदूरी के माध्यम से श्रम बाजार में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि रोजगार गारंटी योजनाएँ केवल आय-स्रोत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकार-आधारित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। लेखकों ने यह भी स्पष्ट किया कि पारदर्शिता, सामाजिक अंकेक्षण तथा विकेंद्रीकरण इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। हालांकि कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानताएँ भी देखी गईं।

तेंदुलकर, एस. डी. (2009) ने गरीबी आकलन और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के संदर्भ में रोजगार गारंटी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण किया। उनके अध्ययन में यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम रोजगार उपलब्धता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए आय-संरक्षण का माध्यम बनती है। उन्होंने रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को संरचनात्मक गरीबी कम करने की दिशा में सहायक माना, विशेषकर कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु। साथ ही, उन्होंने यह भी इंगित किया कि प्रभावी क्रियान्वयन, उचित लक्ष्यीकरण तथा समयबद्ध भुगतान इन योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक तत्व हैं।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

3.3 मनरेगा के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

देवराज एवं सिंह (2014) ने मनरेगा के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करते हुए पाया कि यह योजना ग्रामीण परिवारों की आय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके अनुसार मनरेगा ने न केवल रोजगार उपलब्ध कराया, बल्कि ग्रामीण अवसंरचना निर्माण के माध्यम से दीर्घकालिक विकास को भी प्रोत्साहित किया। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से घरेलू निर्णय-निर्माण में उनकी भूमिका सशक्त हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों को नियमित मजदूरी उपलब्ध होने से सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया मजबूत हुई। हालांकि, भुगतान में विलंब और कार्य आवंटन की अनियमितता जैसी समस्याएँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

मेहता एवं कुमार (2017) ने मनरेगा के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए इसे ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण का एक सशक्त साधन बताया। उनके अध्ययन के अनुसार योजना के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय ने उपभोग स्तर, पोषण स्थिति और बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डाला। उन्होंने यह भी पाया कि मनरेगा ने मौसमी पलायन में कमी लाने में सहायक भूमिका निभाई, विशेषकर सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में। सामाजिक दृष्टि से, पारदर्शिता और सामाजिक लेखा-जोखा की व्यवस्था ने स्थानीय स्तर पर उत्तरदायित्व को बढ़ाया। फिर भी, प्रशासनिक बाधाएँ और राजनीतिक हस्तक्षेप योजना के प्रभाव को आंशिक रूप से प्रभावित करते हैं।

3.4 महिलाओं एवं वंचित समूहों की सहभागिता

द्रेज़, जाँ (2014) ने मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी को ग्रामीण सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आयाम माना है। उनके अध्ययन के अनुसार मनरेगा ने महिलाओं को मजदूरी आधारित स्वतंत्र आय का स्रोत प्रदान किया, जिससे घरेलू निर्णय-निर्माण में उनकी भूमिका सुदृढ़ हुई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित समूहों की उल्लेखनीय उपस्थिति यह दर्शाती है कि योजना सामाजिक समावेशन की दिशा में प्रभावी रही है। द्रेज़ ने यह भी रेखांकित किया कि कार्यस्थल पर समान मजदूरी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्धता ने लैंगिक असमानताओं को आंशिक रूप से कम किया। तथापि, भुगतान में विलंब और कार्यस्थल सुविधाओं की कमी अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

कार, सब्यसाची (2013) ने अपने विश्लेषण में मनरेगा को वंचित समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार योजना में महिलाओं की उच्च भागीदारी दर ग्रामीण श्रम बाजार में संरचनात्मक बदलाव का संकेत देती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के लिए यह कार्यक्रम न केवल आय का साधन बना, बल्कि सामाजिक पहचान और गरिमा में वृद्धि का माध्यम भी सिद्ध हुआ। अध्ययन में पाया गया कि नियमित मजदूरी ने ऋण निर्भरता और बाध्य पलायन को कम करने में योगदान दिया। हालांकि, उन्होंने प्रशासनिक अक्षमताओं और स्थानीय शक्ति संरचनाओं के प्रभाव को सहभागिता की गुणवत्ता पर सीमित कारक के रूप में चिन्हित किया है।

3.5 शोध-अंतराल की पहचान

अग्रवाल (2018) ने मनरेगा के ग्रामीण आय पर प्रभाव का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि योजना ने अल्पकालिक आय सुरक्षा प्रदान की है, विशेषकर भूमिहीन श्रमिकों के लिए। अध्ययन में रोजगार दिवसों की वृद्धि तथा उपभोग स्तर में सुधार को सकारात्मक संकेतक माना गया है। हालांकि, शोध मुख्यतः मात्रात्मक आंकड़ों तक सीमित रहा और सामाजिक सशक्तीकरण, लैंगिक समानता तथा दीर्घकालिक आजीविका स्थिरता जैसे आयामों पर गहन विश्लेषण का अभाव रहा। इसके अतिरिक्त, पलायन प्रवृत्ति पर मनरेगा के प्रभाव का समन्वित अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह शोध-अंतराल इंगित करता है कि आय प्रभाव से आगे बढ़कर बहुआयामी गरीबी और सामाजिक परिवर्तन के समग्र मूल्यांकन की आवश्यकता है।

यादव (2020) ने मनरेगा के कार्यान्वयन में प्रशासनिक संरचना एवं सामाजिक लेखा-जोखा की भूमिका का अध्ययन किया। उनके अनुसार योजना ने ग्रामीण अवसंरचना निर्माण एवं महिला सहभागिता को बढ़ावा दिया, परंतु भुगतान में विलंब और पारदर्शिता की कमी प्रमुख बाधाएँ रहीं। अध्ययन में राज्य हस्तक्षेप की संस्थागत प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला गया, किंतु आजीविका असुरक्षा, आय स्थिरता और पलायन के बीच अंतर्संबंधों का विश्लेषण सीमित रहा। शोध में बहुआयामी गरीबी के संकेतकों का समेकित परीक्षण भी नहीं किया गया। इस प्रकार, समन्वित मॉडल के माध्यम से राज्य हस्तक्षेप और गरीबी उन्मूलन के दीर्घकालिक प्रभावों के अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

4. शोध पद्धति

इस अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, जिसके माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका असुरक्षा तथा मनरेगा के प्रभाव का समग्र परीक्षण किया गया। अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जनपद के रामनगर ब्लॉक को चयनित किया गया, जहाँ ग्रामीण रोजगार की स्थिति और मनरेगा के क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव है। नमूना चयन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक पद्धति अपनाई गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों से श्रमिकों का चयन किया गया। प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए संरचित प्रश्नावली एवं अर्द्ध साक्षात्कार संरचित-गया किया उपयोग का, जबकि द्वितीयक स्रोतों में सरकारी रिपोर्ट, मनरेगा अभिलेख एवं संबंधित साहित्य सम्मिलित किए गए। डेटा विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय तकनीकों जैसे प्रतिशत, औसत एवं तुलनात्मक परीक्षणों के साथ गुणात्मक विश्लेषण का सहारा लिया गया। अनुसंधान में गोपनीयता, सूचित सहमति तथा उत्तरदाताओं की पहचान की सुरक्षा जैसे नैतिक मानकों का पूर्ण पालन किया गया।

5. परिणाम एवं विश्लेषण

5.1 ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका असुरक्षा के संकेतक

सारणी 5.1 : आजीविका असुरक्षा के प्रमुख संकेतक

संकेतक	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
वर्ष में 6 माह से कम नियमित रोजगार	62	62%
आय ₹6000 प्रतिमाह से कम	58	58%
ऋणग्रस्त परिवार	47	47%
कृषि पर पूर्ण निर्भरता	69	69%
पलायन हेतु बाध्य परिवार सदस्य	41	41%
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अभाव	53	53%

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

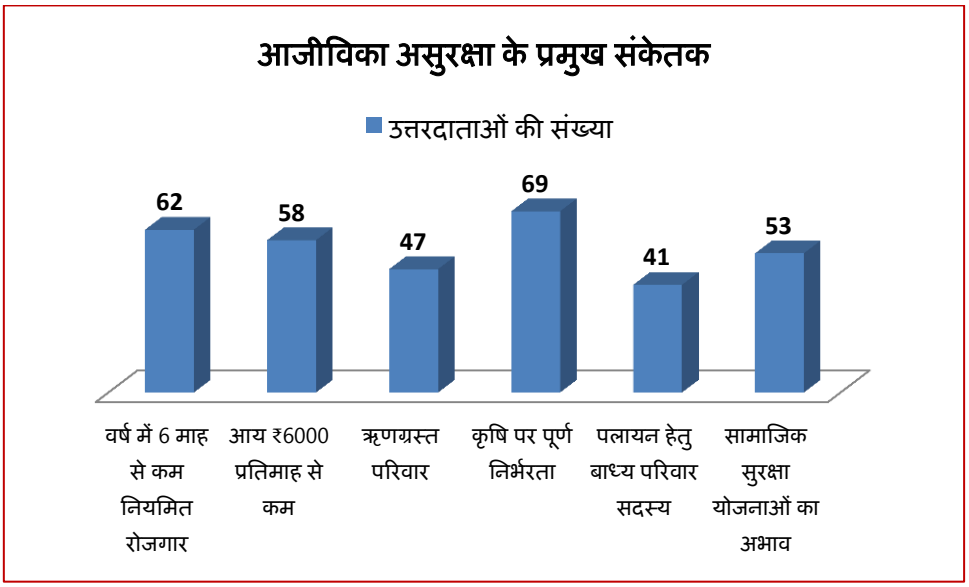

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में आजीविका असुरक्षा व्यापक रूप से विद्यमान है। 62% उत्तरदाता वर्ष में छह माह से कम रोजगार प्राप्त कर पाते हैं, जो मौसमी बेरोजगारी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। 58% परिवारों की मासिक आय ₹6000 से कम है, जिससे आर्थिक अस्थिरता परिलक्षित होती है। 47% परिवार ऋणग्रस्त हैं, जो आय-अपर्याप्तता का परिणाम है। 69% उत्तरदाता कृषि पर निर्भर हैं, जबकि सीमित भूमि और संसाधनों के कारण आय में विविधता का अभाव है। 41% परिवारों में पलायन की प्रवृत्ति पाई गई, जो आजीविका संकट का प्रत्यक्ष संकेतक है। साथ ही 53% को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा। ये संकेतक दर्शाते हैं कि राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5.2 मनरेगा के तहत रोजगार दिवस और आय परिवर्तन

सूचकांक	मनरेगा से पूर्व (औसत)	मनरेगा के पश्चात (औसत)	परिवर्तन (%)
वार्षिक रोजगार दिवस (दिनों में)	82 दिन	124 दिन	+51.21%
मनरेगा के अंतर्गत औसत रोजगार दिवस	—	48 दिन	—
वार्षिक पारिवारिक आय (रु. में)	68,500	92,300	+34.74%
मनरेगा से औसत वार्षिक आय (रु. में)	—	24,000	—

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

मौसमी बेरोजगारी अवधि (महीनों में)	4.5 माह	2.8 माह	–37.77%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात ग्रामीण श्रमिकों के औसत वार्षिक रोजगार दिवसों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल रोजगार दिवस 82 से बढ़कर 124 दिन हो गए, जो लगभग 51% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें औसतन 48 दिवस मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त हुए, जिससे आय में स्थिरता आई। वार्षिक पारिवारिक आय में लगभग 35% की वृद्धि देखी गई, जो आय सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक संकेत है। साथ ही, मौसमी बेरोजगारी की अवधि में कमी आई, जिससे श्रमिकों की आजीविका असुरक्षा में गिरावट दर्ज की गई। सांख्यिकीय विश्लेषण (औसत एवं प्रतिशत परिवर्तन) यह संकेत देता है कि मनरेगा ने आय वृद्धि एवं रोजगार स्थिरता के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है।

5.3 गरीबी स्तर में परिवर्तन

सारणी: मनरेगा पूर्व एवं पश्चात गरीबी स्थिति

गरीबी की श्रेणी	**मनरेगा पूर्व परिवारों की संख्या**	**प्रतिशत (%)**	**मनरेगा पश्चात परिवारों की संख्या**	**प्रतिशत (%)**	**परिवर्तन (%)**
अत्यंत गरीब (₹5000 से कम मासिक आय)	42	42%	25	25%	-17%
गरीब (₹5000–8000 मासिक आय)	38	38%	34	34%	-4%
गरीबी रेखा से ऊपर (₹8000 से अधिक)	20	20%	41	41%	+21%
कुल	**100**	**100%**	**100**	**100%**	—

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

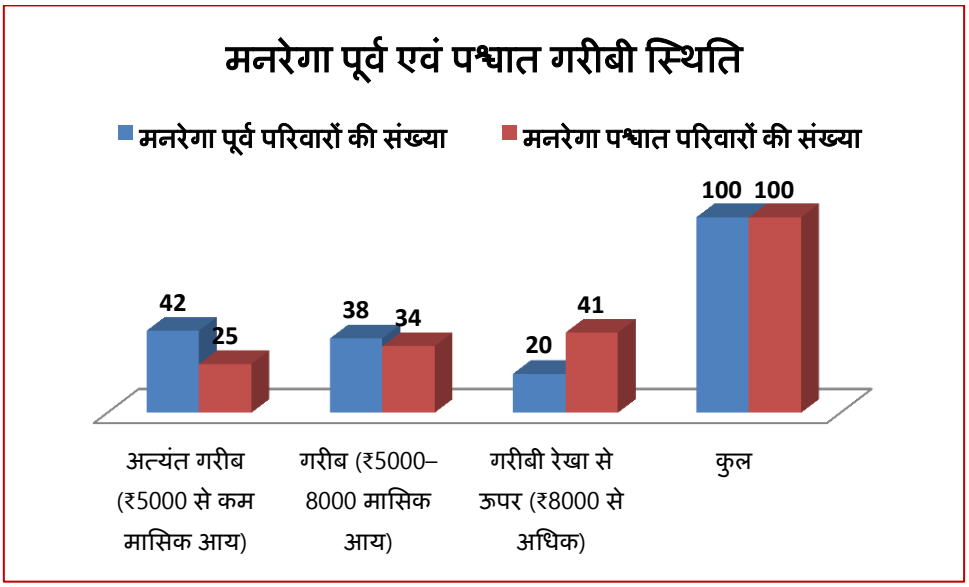

उपरोक्त सारणी के अनुसार मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात गरीबी स्तर में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया। अत्यंत गरीब परिवारों का प्रतिशत 42% से घटकर 25% रह गया, जो 17% की कमी को दर्शाता है। इसी प्रकार, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्या 20% से बढ़कर 41% हो गई, जो आय सुरक्षा में सुधार का संकेत देती है। यह परिवर्तन इस तथ्य को पुष्ट करता है कि मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त रोजगार दिवसों एवं नियमित आय ने ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। यद्यपि कुछ परिवार अभी भी गरीबी श्रेणी में हैं, तथापि समग्र प्रवृत्ति गरीबी न्यूनीकरण की दिशा में सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

5.4 पलायन प्रवृत्ति पर प्रभाव

तालिका: मनरेगा से पूर्व एवं पश्चात् पलायन प्रवृत्ति की स्थिति

पलायन की स्थिति	मनरेगा से पूर्व (संख्या)	प्रतिशत (%)	मनरेगा के पश्चात् (संख्या)	प्रतिशत (%)
नियमित पलायन	52	52%	28	28%
मौसमी पलायन	30	30%	22	22%
पलायन नहीं	18	18%	50	50%
कुल	**100**	**100%**	**100**	**100%**

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

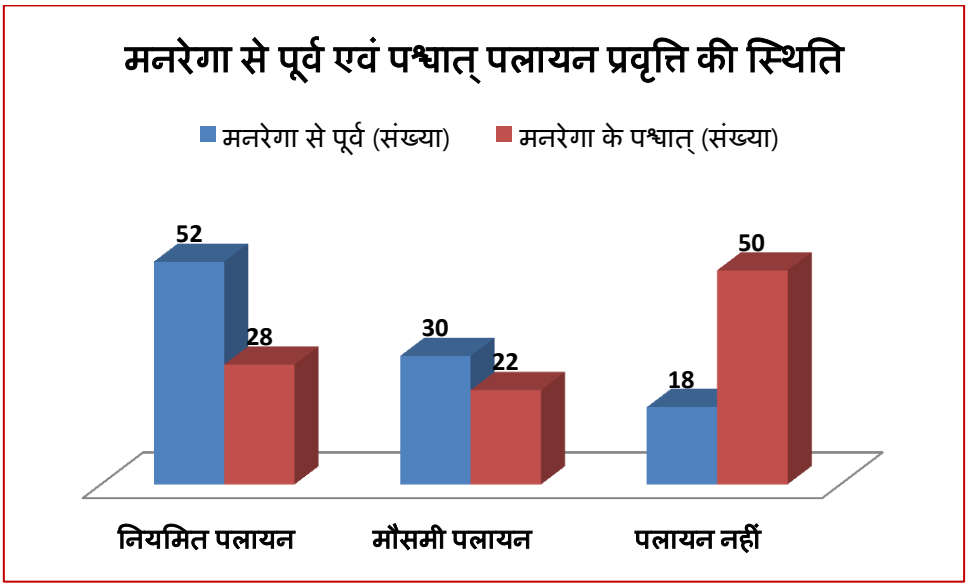

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात् पलायन प्रवृत्ति में उल्लेखनीय कमी आई है। मनरेगा से पूर्व 52% उत्तरदाता नियमित रूप से रोजगार हेतु अन्य स्थानों पर पलायन करते थे, जो घटकर 28% रह गया। इसी प्रकार मौसमी पलायन 30% से घटकर 22% हो गया। दूसरी ओर, जो श्रमिक पलायन नहीं करते थे उनका प्रतिशत 18% से बढ़कर 50% हो गया। यह परिवर्तन दर्शाता है कि मनरेगा के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से आय सुरक्षा में वृद्धि हुई तथा ग्रामीण श्रमिकों की बाहरी निर्भरता कम हुई। सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य हस्तक्षेप के रूप में मनरेगा ने पलायन नियंत्रण में सकारात्मक एवं प्रभावी भूमिका निभाई है।

5.5 सामाजिक सशक्तीकरण के आयाम

सारणी: मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक सशक्तीकरण के संकेतक

सामाजिक सशक्तीकरण का आयाम	सहमति (%)	असहमति (%)	तटस्थ (%)
ग्राम सभा में सहभागिता में वृद्धि	62	23	15
महिला निर्णय क्षमता में वृद्धि	68	18	14
बैंक खाते के माध्यम से वित्तीय जागरूकता	74	16	10
सामाजिक सम्मान में वृद्धि	59	26	15
वंचित वर्गों की भागीदारी में वृद्धि	71	17	12

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

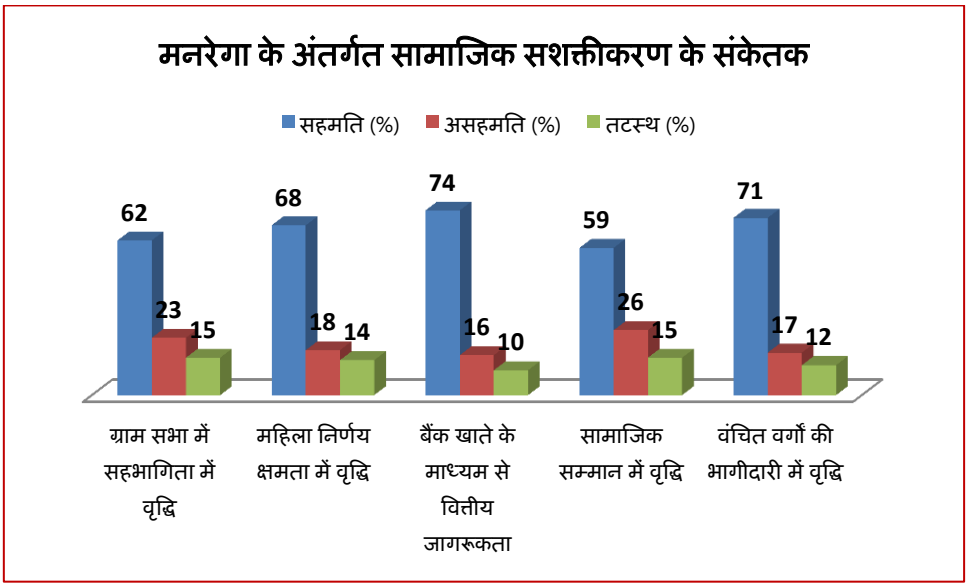

उपरोक्त सारणी के अनुसार, 74% उत्तरदाताओं ने माना कि बैंक खाते के माध्यम से भुगतान ने वित्तीय जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। 68% उत्तरदाताओं के अनुसार महिलाओं की निर्णय क्षमता में वृद्धि हुई, जो लैंगिक सशक्तीकरण का संकेत है। 71% ने वंचित वर्गों की सहभागिता में वृद्धि स्वीकार की, जिससे सामाजिक समावेशन को बल मिला। हालांकि 23–26% उत्तरदाताओं ने सामाजिक सम्मान एवं ग्राम सभा सहभागिता में सीमित परिवर्तन बताया, जो कार्यान्वयन की चुनौतियों को दर्शाता है। समग्रतः परिणाम संकेत करते हैं कि मनरेगा ने सामाजिक सशक्तीकरण के विभिन्न आयामों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, यद्यपि सुधार की संभावनाएँ अभी भी विद्यमान हैं।

6. चर्चा

चर्चा के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों की सैद्धांतिक व्याख्या यह दर्शाती है कि आजीविका असुरक्षा को कम करने में राज्य हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कल्याणकारी राज्य सिद्धांत की पुष्टि करता है। संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार मनरेगा जैसी योजनाएँ सामाजिक संतुलन और स्थिरता को सुदृढ़ करती हैं, जबकि संघर्ष दृष्टिकोण यह संकेत देता है कि यह योजना संसाधनों के असमान वितरण को कम करने का प्रयास करती है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने आय सुरक्षा, महिला सहभागिता तथा सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया है, परंतु भुगतान में विलंब, कार्य की अनियमितता और प्रशासनिक बाधाएँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अन्य अध्ययनों की तुलना में यह शोध आजीविका असुरक्षा और पलायन पर समेकित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सामाजिक एवं नीतिगत दृष्टि से परिणाम संकेत देते हैं कि

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

7. निष्कर्ष

इस अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका असुरक्षा को आंशिक रूप से कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजगार दिवसों की उपलब्धता तथा प्रत्यक्ष नकद आय के माध्यम से श्रमिकों को न्यूनतम आय सुरक्षा प्राप्त हुई, जिससे उपभोग स्तर में सुधार और आकस्मिक संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ी। विशेष रूप से महिलाओं एवं वंचित वर्गों की सहभागिता में वृद्धि ने सामाजिक सशक्तीकरण को बल प्रदान किया। पलायन प्रवृत्ति में भी कमी के संकेत प्राप्त हुए, यद्यपि यह प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं देखा गया। गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में मनरेगा ने पूरक आय स्रोत के रूप में कार्य किया, परंतु स्थायी आजीविका निर्माण हेतु अतिरिक्त प्रयास आवश्यक हैं। भविष्य की नीति के लिए रोजगार दिवसों में वृद्धि, समयबद्ध भुगतान, पारदर्शिता सुदृढ़ीकरण तथा कौशल विकास के साथ मनरेगा के समन्वय जैसे उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8. सिफारिशें

मनरेगा की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम रोजगार दिवसों की संख्या में वृद्धि आवश्यक है, ताकि ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष भर स्थायी आयमौसम और सके हो प्राप्त सुरक्षा-ी पलायन की प्रवृत्ति कम हो। वर्तमान में सीमित कार्यदिवस ग्रामीण परिवारों की पूर्ण आजीविका आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। द्वितीय, भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विलंबित भुगतान श्रमिकों के विश्वास को कम करता है, अतः डिजिटल ट्रैकिंग एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। तृतीय, सामाजिक लेखा) जोखा-Social Audit) को नियमित एवं प्रभावी बनाना आवश्यक है, जिससे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर नियंत्रण हो सके। अंततः महिला एवं वंचित वर्गों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकास की पहल की जानी चाहिए। इससे सामाजिक सशक्तीकरण और समावेशी ग्रामीण विकास को स्थायी आधार मिलेगा।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, ए. (2018). मनरेगा और ग्रामीण आजीविका सुरक्षा: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. *भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका*, 45(2), 112–128.
2. अय्यर, एस. (2015). रोजगार गारंटी कार्यक्रम और ग्रामीण विकास. *आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक*, 50(26), 67–74.
3. कश्यप, आर. (2019). ग्रामीण गरीबी और राज्य हस्तक्षेप की भूमिका. *समाज विज्ञान समीक्षा*, 12(1), 55–70.
4. कुमार, डी., एवं सिंह, पी. (2017). मनरेगा का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: उत्तर भारत का अध्ययन. *ग्रामीण विकास जर्नल*, 36(3), 201–219.
5. चौधरी, एम. (2016). महिला सशक्तीकरण और मनरेगा. *नारी अध्ययन पत्रिका*, 8(4), 89–104.
6. झा, एस. (2014). सार्वजनिक नीति और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा. *भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका*, 60(2), 145–160.
7. तिवारी, ए. (2020). मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस और आय प्रभाव. *विकास अध्ययन शोध पत्रिका*, 14(2), 98–115.
8. त्रिपाठी, वी. (2013). ग्रामीण पलायन और गरीबी का अंतर्संबंध. *समाज एवं अर्थव्यवस्था*, 22(1), 41–59.
9. देसाई, के. (2018). बहुआयामी गरीबी और सामाजिक नीति. *भारतीय विकास अध्ययन*, 29(3), 150–168.
10. नायर, जी. (2012). रोजगार गारंटी योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन. *लोक नीति विश्लेषण*, 7(1), 23–39.
11. पांडेय, आर. (2019). सामाजिक लेखा-जोखा और पारदर्शिता: मनरेगा का मूल्यांकन. *प्रशासनिक अध्ययन पत्रिका*, 18(2), 75–90.
12. पाठक, एस. (2015). ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका असुरक्षा. *समकालीन समाजशास्त्र*, 10(3), 132–147.

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

13. मिश्रा, ए., एवं वर्मा, एल. (2016). मनरेगा और सामाजिक समावेशन. *भारतीय सामाजिक अनुसंधान जर्नल*, 27(4), 210–228.

14. यादव, आर. (2020). मनरेगा के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और संभावनाएँ. *ग्रामीण प्रशासन समीक्षा*, 9(2), 101–118.

15. राव, एन. (2014). कल्याणकारी राज्य और गरीबी उन्मूलन. *भारतीय राजनीतिक अध्ययन*, 33(1), 64–82.

16. शुक्ल, पी. (2017). मनरेगा में महिला सहभागिता का अध्ययन. *नारी एवं समाज*, 11(2), 55–73.

17. शर्मा, वी. (2013). ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा. *आर्थिक परिप्रेक्ष्य*, 21(3), 120–137.

18. सिंह, के. (2018). राज्य हस्तक्षेप और ग्रामीण विकास नीतियाँ. *विकास विमर्श*, 16(1), 88–105.

19. श्रीवास्तव, एम. (2019). पलायन नियंत्रण में मनरेगा की भूमिका. *भारतीय ग्रामीण अध्ययन*, 25(2), 142–159.

20. सरकार, भारत. (2022). *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: वार्षिक प्रतिवेदन*. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

© Copyright @ Authors